भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1481
09.02.2026 को उत्तर के लिए

रेल ट्रैक के दोहरीकरण के कारण पर्यावरणीय प्रभाव

1481. श्री यूसुफ पठानः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक और गोवा के बीच रेललाइन के प्रस्तावित दोहरीकरण का कार्य बाघों के एक महत्वपूर्ण पर्यावास, एक हाथी गलियारा और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरता है;

(ख) भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की रिपोर्ट में वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर किए जाने के बावजूद सरकार द्वारा वनक्षेत्र में कार्य की मंजूरी प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दोहरे ट्रैक के लिए स्वीकृति प्रदान करने के पीछे क्या औचित्य है जबकि डब्ल्यूआईआई के निष्कर्षों के अनुसार फरवरी और अप्रैल, 2023 के बीच सिंगल ट्रैक के कारण ही 341 पशुओं की मृत्यु हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) राज्य सरकारों से वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों की जांच उनके गुण-दोष के आधार पर की जाती है जिसमें वनों और वन्यजीवों पर होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का आकलन भी किया जाता है। उच्च संरक्षण मूल्य वाले या जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में प्रस्तावित अवसंरचना परियोजनाओं की गहन जांच की जाती है।

जिन मामलों में वन भूमि का अपवर्तन अपरिहार्य और पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण होता है, ऐसे प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा स्थल-विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं की तैयारी तथा आवश्यकता अनुसार वन्यजीव अंडरपास/ओवरपास की व्यवस्था सहित पर्याप्त उपशमन उपायों के कार्यान्वयन के अध्यधीन विचार किया जाता है।

मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के माध्यम से "वन्य जीवों पर रैखिक अवसंरचना के प्रभावों को कम करने हेतु पर्यावरण-अनुकूल उपाय" शीर्षक से एक मार्गदर्शन दस्तावेज भी तैयार किया किया है जिसमें रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अपनाए जाने वाले मानक उपशमन उपायों का उल्लेख किया गया है, ताकि वन्यजीवों और उनके पर्यावासों पर प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके।

*****